

**बिहार सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

सुनील चौधरी,  
निदेशक,  
अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग,  
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता(विद्युत सहित)  
भवन कार्य प्रमंडल,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना,दिनांक:-

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC NO- 9129/2016 दिनांक-14.07.17 के आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 484(अनु0) दिनांक-24.08.17 पत्रांक-602 दिनांक-22.11.17 एवं दिनांक-29.11.17 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक में दिया गया निदेश (कार्यवाही का बिन्दू 1.4)

महाशय,

उपर्युक्त विभागीय पत्रों का एवं दिनांक 29.11.17 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेशों का स्मरण किया जाय। अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत न्यायालय परिसरों एवं न्यायालयीय आवासों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सहमति से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था यथा शौचालय, रैम्प, लिटिगेन्ट शेड इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त विभागीय पत्रों द्वारा समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया था।

कृपया इस संबंध में की गयी कार्रवाई से अविलम्ब अवगत कराया जाये। इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील चौधरी)

निदेशक

अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग

ज्ञापांक-

पटना,दिनांक:-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता(उत्तर/दक्षिण), पटना एवं विद्युत को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक- 15

पटना,दिनांक:- 09.01.2018

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर,भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक